भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *293

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए केंद्रीय हिस्से में संशोधन

***293. श्री राव राजेन्द्र सिंहः**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत वर्तमान दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार करके विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 50:50 के अनुपात के स्थान पर 90:10 के अनुपात में राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने का इरादा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 293 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) भारत सरकार अगस्त, 2019 से राज्यों की भागीदारी में नल जल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य जल का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है।

जेजेएम के तहत, वर्तमान में, केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निधि साझाकरण पैटर्न (केंद्रीय हिस्सा: राज्य का हिस्सा) विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100:0, पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 और शेष राज्यों के लिए 50:50 है। इसके अलावा, सहायता और जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमएस) गतिविधियों के तहत, वित्तपोषण पैटर्न संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100:0, हिमालयी, पूर्वोत्तर राज्यों और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 है।

इसके अतिरिक्त, दुर्गम भू-भागों के लिए 30% भारांक महत्व भी निर्धारित किया जाता है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं और जल जीवन मिशन के तहत निधियों का आबंटन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए 10% भारांक महत्व निर्धारित किया जाता है ताकि इन क्षेत्रों में कवरेज को प्राथमिकता दी जा सके।

इसके अलावा, ग्रामीण स्तर पर अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को सशर्त अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाओं, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि के सामंजस्य में स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के प्रावधानों की भी जेजेएम के तहत परिकल्पना की गई है।

*****